

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या-03/बजट-01-16/2026/...../आ0प्र0

सेवा में,

महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक-

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-
2245-02-114-0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) के अंतर्गत
कुल रु० 20000.00 लाख (दो सौ करोड़ रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष
-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु
शीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001-कृषि इनपुट
अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) के मांग संख्या-39, विपत्र कोड-392245021140001 में
विषय शीर्ष-35 01-नगद/वस्तु के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. पूर्व/वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है : -

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विभाग	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	कृषि विभाग, बिहार, पटना	0.00 (शून्य)	20000.00 (दो सौ करोड़ रुपये)	20000.00 (दो सौ करोड़ रुपये)

4. यह आवंटन कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-2362
दिनांक-08.04.2026 द्वारा की गई अधियाचना तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई
दिल्ली के पत्रांक-33-03/2020-NDM-1 (Vol-II) दिनांक-10.10.2022 द्वारा
एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 हेतु संसूचित साहाय्य मानदर की कंडिका-
A 5 (i) (B) और 5 (ii) के आलोक में कृषि इनपुट अनुदान हेतु निर्गत किया जा रहा
है।

5. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561वि0 (2), दिनांक-17.4.98 के आलोक
में निर्गत किया जा रहा है।

6. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(मो० नदीमुल गपफार सिद्दीकी)

संयुक्त सचिव

ML

ज्ञापांक-03/बजट-01-16/2026/14/आ0प्र0,पटना-23 दिनांक-15-04-26
प्रतिलिपि-

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन कोषागार, नया सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार के कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-2362 दिनांक-08.04.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
15/4